उप० । वास्ते बहस हेतु पत्रावली दि० 17/01/2023 को उप० हो ।

17/01/23 — पत्रावली पेश हुई मूल वाद में प्रा० डिक्री जारी हो चुकी है प्रार्थना पत्र 212 वर्ष 2016 से चल रही है प्रकरण में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि हुई नही है अतः प्रा०पत्र 212 आगे चलाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः प्रा० पत्र 212 [illegible] इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से क्रम से आकर दाखिल दफ्तर हो